इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी 2013—माघ 30, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. बी-4-03-2013-2-पांच (01).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 75 के साथ पठित धारा 47-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 में, उपनियम (1) में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित नया अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"8. संयुक्त महानिरीक्षक पंजीयन (इस निमित्त महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्राधिकृत) संयोजक.".

2. नियम 4 में, उपनियम (1) में, अनुक्रमांक 12 के पश्चात्, निम्नलिखित नया अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"13. उस क्षेत्र का उप महानिरीक्षक पंजीयन या उस विशिष्ट जिले के वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक से भिन्न उप महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा नामनिर्दिष्ट उस क्षेत्र का कोई अन्य वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक. सदस्य.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. बी-4-03-2013-2-पांच (01).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-03-2013-2-पांच (01), दिनांक 19 फरवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th February 2013

No. F-B-4-03-2013-2-V (01).—In exercise of the powers conferred by Section 47-A read with Section 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Preparation and Revision of Market Value guideline Rules, 2000, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 3, in sub-rule (1), for serial number 8 and entries relating thereto, the following new serial number and entries reating thereto shall be substituted, namely :—

"8. Joint Inspector General of Registration (Authorized by the Inspector General of Registration in this regard). Convener.".

2. In rule 4, in sub-rule (1), after serial number 12, the following new serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

"13. Deputy Inspector General of Registration of that region or any other Senior District Registrar/District Registrar of that region nominated by the Deputy Inspector General of Registration other than Senior District Registrar/District Registrar of that particular district. Member.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. U. KHAN, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.